जायेंगे, जिससे सम्बन्धित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के साथ–2 मधुमक्खी पालन करने एवं स्थानीय उत्पाद जैसे (अदरक, हल्दी एवं अन्य जड़ी बूटियों) की पैदावार करने से आय के अतिरिक्त श्रोत्र विकसित कर सकेगें।

6. **परियोजना की आर्थिकी :–**

(i) उदाहरण के रूप में 25 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट पर 40 हजार प्रति कि0वॉ0 की दर से कुल लगभग 10 लाख का व्यय सम्भावित है।

(ii) परियोजना लागत पर सहकारी बैंक से 70% तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी।

(iii) 25 कि0वॉ0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से वर्षभर में अनुमानित 38,000 यूनिट विद्युत उत्पादन हो सकेगा।

7. **योजना हेतु आवेदन/चयन प्रक्रिया :–**

(i) इस योजना हेतु उरेडा द्वारा MSME Online Portal पर आवेदन आमंत्रित/प्राप्त किये जायेंगे।

(ii) आवेदन के साथ प्रत्येक लाभार्थी को रू0 500/- (जी0एस0टी0 सहित) आवेदन शुल्क के रूप में निदेशक, उरेडा, देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाना होगा अथवा **उरेडा के खाता सं0–4422000101072887, IFSC Code: PUNB0442200, ब्रांच : विधानसभा, देहरादून** में जमा कराया जाना होगा।

(iii) प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार **"तकनीकी समिति"** गठित की जायेगी :–

- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
- यू0पी0सी0एल0 के सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता।
- जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि।
- उरेडा के जनपदीय अधिकारी, (समन्वयक)।

(iv) तकनीकी रूप से उपयुक्त पाये गये आवेदकों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

- जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी – अध्यक्ष।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र – सदस्य।
- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 – सदस्य।
- सम्बन्धित जनपद के सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक – सदस्य।
- वरि0 परि0 अधि0/परि0 अधि0, उरेडा – सदस्य सचिव।

8. **विविध :–**

(i) परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(ii) लाभार्थी द्वारा परियोजना आवंटन पत्र, Power Purchase Agreement (PPA) की प्रति, परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को जमा कराये जायेंगे।

(iii) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उक्त आवेदन सम्बन्धित बैंक शाखा को 07 दिवस के भीतर अग्रसारित किये जायेंगे।

(iv) लाभार्थी को आवेदन बैंक शाखा में प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जायेगा।

(v) ऋण स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी के दावे सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला केन्द्र उद्योग को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस पर दावा प्राप्त होने के 07 दिन में मार्जिन मनी की राशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में टी0डी0आर0 (मियादी जमा) के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा।

(vii) सोलर पावर प्लान्ट के 02 वर्षों तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन–मनी अनुदान के रूप में समायोजित हो जायेगी।

(viii) सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार मान्य होंगे।

(ix) लाभार्थी द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण करायी जायेगी।

(x) स्थापित सोलर पावर प्लान्ट के स्वामित्व में परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) के 02 वर्षों तक कोई बदलाव मान्य नहीं होगा।

(xi) इस योजना के किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जिन तथा स्पष्टीकरण प्रशासनिक विभाग के मंत्री जी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या– 697 /I-1/2020-03/02/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक एवं आयुक्त, उद्योग/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, उरेडा, उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
14. निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

Checklist

Sl. No	Description	Compliance
1	Complete EOI document with duly signed in each page.	
2	Authorization letter regarding signing authority for this EoI on non-judicial stamp paper of Rs 100/-	
3	Covering Letter as per prescribed Format-A	
4	Performance security, Amount Rs 10.00 lakhs in the form of Demand Draft/FDR /TDR (issued/Pledge in favor of Director, UREDA, Dehradun)	
5	Registration certificate related to firm (Proprietor/ Partnership/ Pvt. Ltd./Govt./Other)	
6.	Registration of MSME certificate (If any)	
7.	Certificate of experience (Commissioning report from concerned user)	
8.	Declaration by the EPC Firm (On non-judical stamp paper of Rs 100/-)	
9.	Any other document (if any)	

Note: The above all document specified in EOI along with duly signed EOI with performance security amount (Rs 10.00 lakhs) should positively reach at the prescribed address on or before 30/11/2020 till 17:00 Hrs.